सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:-- **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

स्व वाद संख्या: 2015/174 दायर दिनांक 14.09.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जुगल किशोर पुत्र मांगीलाल, जाति ब्राहाम्ण, निवासी बेगसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम्	1. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल, 2. रामविलास पुत्र मांगीलाल, 3. कैलाश पुत्र मांगीलाल, 4. मनोहरी पत्नि मांगीलाल, 5. पुसालाल दत्तक पुत्र रामलाल, 6. सोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल, 7. धरनीधर पुत्र कन्हैयालाल, 8. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल, 9. श्रीभगवान दत्तक पुत्र भुरमल, 10. रामस्वरूप पुत्र हनुमान प्रसाद, 11. हरिप्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद, 12. भंवरलाल पुत्र सुरजमल, 13. ललित कुमार पुत्र सुरजमल, 14. महेश कुमार पुत्र सुरजमल, 15. रामगोपाल पुत्र छोगालाल, 16. महावीर प्रसाद पुत्र छोगालाल, 17. श्रीनिवास पुत्र शिवदत्त, 18. वंटलाल पुत्र शिवदत्त, 19. जगदीश पुत्र शिवदत्त, 20. जुगल पुत्र शिवदत्त, 21. रामवतार पुत्र शिवदत्त, 22. ओमप्रकाश पुत्र शिवदत्त, 23. रूपनारायण पुत्र शिवदत्त, 24. मनोज कुमार पुत्र सम्पतलाल, 25. विमला पत्नि सम्पतलाल, 26. विनोद कुमार पुत्र बजरंगलाल, 27. सुनिल पुत्र बजरंगलाल, 28. अनिल पुत्र बजरंगलाल, 29. भंवरी देवी पत्नि बजरंगलाल, 30. शंकरलाल पुत्र मोतीलाल, समस्त जाति ब्राहाम्ण, निवासीयान बेगसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 31. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015 / 174
दायर दिनांक 14.09.2015, निर्णय दिनांक 03.0?.2017
जुगल किशोर बनाम सत्यनारायण वगैराह।

दावा बाबत्
बन्टवारा, घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की ओर से।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनांक **03.03.2017**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 59 रकबा 15.17 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 8.04 बीघा, खसरा संख्या 104 रकबा 1.02 बीघा कुल 25.03 बीघा वाके सरहद बेड़वा स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 05 पुसालाल के दादा रामलाल, प्रतिवादी नम्बर 17 ता 23 के पिता शिवदत्त, प्रतिवादी नम्बर 24 ता 28 के पिता गोरीदत्त, प्रतिवादी नम्बर 12 ता 14 के पिता सुरजमल, प्रतिवादी नम्बर 30 शंकरलाल, वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता03 के पिता मांगीलाल, प्रतिवादी नम्बर 15 व 16 के पिता छोगालाल, प्रतिवादी नम्बर 09 श्रीभगवान, तथा स्वर्गीय गणेशाराम के पुत्र पुसालाल के नाम से राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में खातेदारी दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है, वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 30 एक ही परिवार स्वर्गीय दुलाराम के वारिसान है, तथा स्वर्गीय रामपाल की मृत्यु आज से करीब 35 वर्ष पूर्व शिवदत्त की मृत्यु करीब 09 वर्ष पूर्व गारीदत्त की मृत्यु करीब 23 वर्ष पूर्व सुरजमल की मृत्यु करीब 08 वर्ष पूर्व, छोगालाल की मृत्यु करीब पॉच वर्ष पूर्व कन्हैयालाल की मृत्यु आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हनुमानप्रसाद की मृत्यु करीब 10 वर्ष पूर्व, गणेशाराम की मृत्यु आज से करीब 38 वर्ष पूर्व हो चुकी है। तथा खतौनी में दर्ज खातेदारो में से भी ज्यादातर की मौत हो चुकी है। पुसालाल उर्फ पुसाराम, रामलाल के जीवित रहते ही उसके गोद चला गया था।यह है कि उक्त खेत पैतृक है, जिनका मौखिक बंटवारा पक्षकारान ने आज से करीब 30 वर्ष पूर्व ही कर लिया था, जिसके अनुसार खेत खसरा संख्या 59 रकबा 15.17 बीधा में से 10.11 बीघा पश्चिमी, खेत खसरा संख्या 60 रकबा 8.04 बीघा में से 05.10 बीघा पश्चिमी व खसरा संख्या 104 रकबा 1.02 बीघा में से 15 बिस्वा पश्चिमी कुल 16.16 बीघा भूमि प्रतिवादी नम्बर 05 पुसालाल के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खेत खसरा संख्या 59 रकबा 15.17 बीघा में से पूर्वी 5.06 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 8.4 बीघा में से पूर्वी 2.14 बीघा व खसरा संख्या 104 रकबा 1.02 बीघा में से .07 बीघा पूर्वी कुल 8.07 बीघा वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 के बंट व कब्जा काश्त में आयी जिस पर शुरू से लेकर आज तक इसी प्रकार पक्षकारान काबिज चले आ रहे है। तथा इस वर्ष भी इसी प्रकार इनकी काश्त भी अपने अपने हिस्सों पर की हुई है। इस मौखिक बंटवारे को वादी ने अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, जो वाद का भाग है। और यह नजरी नक्शा इस वाद के साथ पेश है। उक्त खेतो की खातेदारी में दर्ज खातेदारो के नामो को हटाया जाकर वाद के फिकरा नम्बर 03 में वर्णितानुसार वादी अपने नाम से उक्त खेतो की खातेदारी करवाना चाहता हैं, क्यों कि भाई बंटवारे में उक्त खेत स्वर्गीय मांगीलाल जी के व प्रतिवादी पुसालाल के दत्तक पिता रामलाल जी के बंट में आये थें। तथा रामलाल स्वर्गीय देवकरण का जायन्दा पुत्र था, तथा रामपाल के कोई औलाद नहीं होने से स्वर्गीय गणेशाराम के पुत्र पुसालाल उर्फ पुसाराम को गोद रखा था, तथा वही उसका वारीस रहा है। और इसीलिये खातेदारी में पुसाराम का नाम दर्ज है। तथा स्वर्गीय गणेशाराम के पुत्र मांगीलाल वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 पुत्र है, जिनके बंट व कब्जा काश्त में उक्त भूमि में से 1/3 हिंस्सा बंट में आया, क्योंकि स्वर्गीय रामचन्द्र के पुत्र गणेशाराम के बंट व कब्जा काश्त में ही उक्त खेत आये थें। और उन्ही का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है। खातेदारी में दर्ज अन्य खातेदारो के बंटवारे में दुसरे खेत आ गये थे, इसलिये इन खेतो से इनका कोई सरोकार नहीं रहा है। वादी उक्त खेतो में से अन्य लोगो के नाम हटाकर रेकर्ड में दुरूस्ती करवाकर वाद में वर्णितानुसार अपने व अपने भाईयों के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने का जायज हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है। तथा उवत खेतो का मौखिक बंटवारा हो चुका है, लेकिन कानूनी रूप से खातेदारी होकर कानूनी रूप से बंटवारा नही होने से वादी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा रहती है। वादी उक्त खेतो

कलेक्टर
(नागौर)

Scanned by CamScanner

का बंटवारा करवाकर अपने नाम से अलग खातेदारी करवाने का कानूनन हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 31 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 31 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 जुगल किशोर का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –2, नजरी नक्शा प्रदर्श –3 पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादीगण ने, नजरीनक्शा के अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः नजरीनक्शा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर वाकै सरहद बेडवा में स्थित खेत खसरा नम्बर 59 रकबा 7 बीघा व खसरा नं0 60 रकबा 8.04 बीघा 104 रकबा 1.02 बीघा कुल 25.03 बीघा का वादी व वादीगण संख्या 01 ता 30 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है। तहसीलदार, डीडवाना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो–दो प्रतियों पेश करें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **03.03.2016** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2015/174 दायर दिनांक 14.9.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. जुगल किशोर पुत्र मांगीलाल ,जाति ब्राहम्ण, निवासी बेगसर ,तहसील डीडवाना, जिला नागौर ,राजस्थान	बनाम्	1. सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल , 2. रामविलास पुत्र मांगीलाल , 3. कैलाश पुत्र मांगीलाल, 4. मनोहरी पत्नि मांगीलाल, 5. पुसालाल दत्तक पुत्र रामलाल, 6. सोहनलाल पुत्र कन्हैयालाल, 7. धरनीधर पुत्र कन्हैयालाल, 8. राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल , 9. श्रीभगवान दत्तक पुत्र भुरमल, 10. रामस्वरूप पुत्र हुनमान प्रसाद, 11. हरिप्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद, 12. भंवरलाल पुत्र सुरजमल, 13. ललित कुमार पुत्र सुरजमल, 14. महेश कुमार पुत्र सुरजमल, 15. रामगोपाल पुत्र छोगालाल, 16. महावीर प्रसाद पुत्र छोगालाल 17. श्रीनिवास पुत्र शिवदत्त, 18. बंटलाल पुत्र शिवदत्त, 19. जगदीश पुत्र शिवदत्त, 20. जुगल पुत्र शिवदत्त, 21. रामवतार पुत्र शिवदत्त, 22. ओमप्रकाश पुत्र शिवदत्त, 23. रूपनारायण पुत्र शिवदत्त, 24. मनोज कुमार पुत्र सम्पतलाल, 25. विमला पत्नि सम्पतलाल, 26. विनोद कुमार पुत्र बंजरगलाल, 27. सुनिल पुत्र बंजरगलाल , 28. अनिल पुत्र बंजरगलाल, 29. भंवरी देवी पत्नि बंजरगलाल, 30. शंकरलाल पुत्र मोतीलाल, समस्त जाति ब्राहमण, निवासीयान बेगसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 31. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :— पक्षकारान

Scanned by CamScanner

वाद, संख्या 2015 / 174
दायर दिनांक 04.09.2015, निर्णय दिनांक 06.06.2017
जुगल किशोर बनाम सत्यनारायण वगैरह

—: निर्णय :—

दिनांक 06.06.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बेगसर में पेश हुई पक्षकारान उपस्थित। विवादित सरहद मौजा बेडवा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 59 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा के घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादीगण का वाद दिनांक 03.03.2016 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने 06.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प बेगसर में विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर किसी ने आपत्ति पेश नही की है। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षत प्राधिकार है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अत तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर हस्तगत वाद अन्तिम डिक्री सादिर किया जात है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा बेडवा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 59 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.06.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प बेगसर में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/174 दायर दिनांक 04.09.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. जुगल किशोर पुत्र मांगीलाल ,जाति ब्राहम्ण, निवासी बेगसर ,तहसील डीडवाना, जिला नागौर ,राजस्थान	बनाम्	1. .सत्यनारायण पुत्र मांगीलाल ,वगैराह समस्त जाति ब्रहामण, निवासीयान बेगसर, तहसील डीडवाना, जिला नागौर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 06.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बेडवा तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 59 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं0 60 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं0 104 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.06.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट बेगसर में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner